आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
बन्दोबस्ती वाद सं0 17/2010–11
आवेदक — राजाराम मंडल
बनाम
16 आना रैयत
मौजा– बरारी

आदेश

29-11-17

आवेदक द्वारा दाखिल बन्दोबस्ती आवेदन पत्र के अवलोकन करने तथा आवेदक को सुनने से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की करते हुए अंचल अधिकारी बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं मौजा बरारी के 16 आना रैयातो को विधिवत नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0न0	दाग न0	रकवा
बरारी		138	10 कट्ठा

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। मौजा बरारी के 16 आना रैयतों द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रकार के आपत्ति नही किया गया है। आवेदक को सुना। आवेदक का कहना है कि मौजा बरारी दाग न0 138 रकवा 10 कट्ठा जमीन पर 32 वर्ष से निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि को आवेदक अपने नाम से बन्दोबस्ती एवं लगान निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने पत्रांक 1246/रा0 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा बरारी ज0न0 209 दाग न0 138 रकवा 01–03–05 धूर जमीन अनावादी किस्म गरहा कहकर खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि के अंशिक रकवा 10 कट्ठा जमीन पर बन्दोबसती कराना चाहता है। चूँकि आवेदित भूमि सर्वे खतियान में अनाबादी खाता के किस्म कौलम में गरहा कहकर दर्ज है तथा इस जगह पानी वगैरह रहता है, इसलिए उक्त भूमि की बन्दोबस्ती करना उचित प्रतीत नही होता है से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त तथ्यो पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया जाता है कि मौजा बरारी ज0न0 209 दाग न0 138 रकवा 10 कट्ठा जमीन अनावादी किस्म गरहा कहकर खतियान में दर्ज है, जिसकी बन्दोबस्ती नही किया जा सकता है। अतएव आवेदक के आवेदन पत्र को खारीज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

29/11/17

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

29/11/17

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner